भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4425

उत्तर देने की तारीख 27.03.2025

जनजातीय समुदायों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी

+4425. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय समुदायों का स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर और अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) सरकार संसद और राज्य विधान सभाओं जैसे विधायी निकायों में जनजातीय लोगों के प्रतिनिधित्व की सहायता किस प्रकार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय लोगों की समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया जाए;

(ग) सरकार द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषदों (टीएसी) की भूमिका को सुदृढ़ करने तथा नीति निर्माण संबंधी निर्णयों में जनजातीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार सिविल सेवाओं सहित सरकारी सेवाओं में जनजातीय समुदायों के कम प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान किस प्रकार कर रही है और जनजातीय युवाओं के लिए और अधिक अवसर सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जनजातीय महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कौन-कौन सी कार्यनीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): सरकार ने भारतीय संविधान में निहित प्रावधानों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर जनजातीय समुदायों का अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत का संविधान स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं और संसद में सीटों के आरक्षण के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और संविधान के अनुच्छेद 330 में राष्ट्रीय स्तर पर उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में अजजा के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अजजा के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है, जिससे राज्य स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में स्थानीय स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य किया गया है। इससे स्थानीय शासन में जनजातीय समुदायों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। इसी तरह, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में नगर पालिकाओं में अजजा के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य किया गया है।

(ग): संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अन्तर्गत पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए अनुसूचित जनजाति के राज्य में अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) की स्थापना की जाती है, जैसा कि राज्यपाल द्वारा संदर्भित किया जाए। टीएसी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देती है।

(घ): केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अखिल भारतीय स्तर पर पदोन्नति के साथ-साथ सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजातियों को 7.5% की दर से आरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, अपनी योग्यता के आधार पर चयनित आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया जाता है। पद-आधारित आरक्षण रोस्टर की शुरूआत के बाद, आरक्षण का आदान-प्रदान संभव नहीं है और इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा ही भरा जा सकता है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पदों और सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 01.01.2024 तक निर्धारित प्रतिशत 7.5% से अधिक है।

(ङ): "पंचायत", "स्थानीय सरकार" होने के नाते, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग-IX, पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तरों की स्थापना के लिए पंचायत में सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के साथ-साथ पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुनाव आयोजित करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद 243घ पंचायतों में अध्यक्षों की कुल सीटों और पदों में से कम से कम एक तिहाई आरक्षण को अनिवार्य करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। राज्यों को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी भी स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों की सीटों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के कारण, 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने एक कदम और आगे बढ़कर अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं भी शामिल हैं, जिससे जमीनी स्तर पर शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिला है। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, अनुच्छेद 243घ में निर्धारित संवैधानिक प्रावधान लागू होते हैं।

भारत सरकार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के माध्यम से निर्वाचित जनजातीय महिला प्रतिनिधियों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण का व्यापक कार्य करती है। भारत सरकार ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की तैयारी के लिए ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रही है।

*****